

31/12/2021

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
यन्त्राराज पुत्र हरलाल मार परेवडी	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 279/2021 GCMS No. 2021/1056

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

31/12/2021

वादी श्री यन्त्राराज पुत्र हरलाल  
जाति मार निवासी परेवडी द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत जेठपुर में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2073-2074 ग्राम परेवडी पटवार मण्डल परेवडी के खाता नम्बर 50, 51, 52 मे वादी की राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि यन्त्राराज पुत्र हरलाल दर्ज है, जो अशुद्ध है।  
वादी का शुद्ध नाम यन्त्राराज पुत्र हरलाल है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 2948 4458 7451 मतदाता पहचान पत्र Rpv/0373357 अन्य दस्तावेज - की छाया प्रति प्रस्तुत की है।  
इस संबंध में हल्का पटवारी परेवडी भू.अ.नि M.S.M. एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।  
अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।

1148-120

उपखण्ड अधिकारी  
कुचामनसिटी (नागौर)

